

गोती देवी बंनारु कासूराम
मु.स. 237/2024 (2024/404)
निर्णय दिनांक-23/12/2024

months previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly-

Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111. इसलिये प्रार्थीया को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 88 भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 1.5680 है, ख.न. 187/106 रकबा 0.0253 हैक्टेयर ग्राम दयारामपुरा प.ह. जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश जारी किये जाते हैं कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावे। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।



मन्त्यमेव जयते

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

बस्सी, जयपुर ग्रामीण (राजप)